उत्तर प्रदेश शासन
सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो अनुभाग-।
संख्या ।।।8/चौवालिस-।-8।-79/79
लखनऊ : दिनांक 3। जुलाई, ।99।

कार्यालय-ज्ञाप

शासन की जानकारी में यह बात आई है कि राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक निगमों/उद्योगों में कर्मचारियों तथा अधिकारियों की भती से पूर्व उनके चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन सामान्यतः पुलिस विभाग के माध्यम से नहीं कराया जाता है जिससे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की भी ऐसे प्रतिष्ठानों में भर्ती हो जाती है । यद्यपि तत्कालीन नियुक्ति (ख) विभाग के आदेश संख्या 4694/दो-बी-32।-1947, दिनांक 28 अप्रैल, ।958 के प्रस्तर 3 (डी) के निर्देशानुसार राजकीय कारखानों, विद्युतगृहों, बाँधों इत्यादि में कार्मिकों की नियुक्ति के पूर्व पुलिस विभाग के माध्यम से उनके चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन कराये जाने की अनिवार्यता इंगित की गयी है, परन्तु सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक इकाईयों तथा प्रतिष्ठानों में, जहाँ शासन की 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक पूंजी विनियोजित है, ऐसे सत्यापन की व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि कतिपय सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में ऐसे सत्यापन की कार्यवाही की तो जाती है लेकिन यह व्यवस्था ऐच्छिक है । अतः इस विषय पर एकरूपता सुनिश्चित करने तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों एवं उद्योगों की सुरक्षा तथा उनके स्वस्थ संचालन की दृष्टि से शासन ने यह निर्णय लिया है कि राज्य शासन के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन सार्वजनिक निगमों/उद्योगों में अधिकारियों/कर्मचारियों की सीधी/नियमित नियुक्ति के पूर्व चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन राजकीय सेवकों की ही भाँति पुलिस विभाग के माध्यम से अनिवार्य रूप से किया जाय। यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आकस्मिक भती वाले श्रमिकों आदि, जो थोड़े समय के लिये भती किये जाते हैं, के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के उपरोक्तानुसार सत्यापन की आवश्यकता नहीं है ।

2- उपर्युक्त विषय पर कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 8/19/75-कार्मिक-2, दिनांक 7 मई, ।976 तथा उसके संलग्नकों की प्रति भी संलग्न है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों की प्रथम नियुक्ति से पहले उनके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिये प्रावरण पत्र का मानक पत्र निर्धारित किया गया है । सार्वजनिक निगमों/उद्योगों के कर्मचारियों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन हेतु इस शासनादेश के संलग्नक के अनुरूप मानक पत्र तैयार कर प्रयोग में लाया जाय।

3- शासन के गृह (पुलिस) अनुभाग-8 द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित एवं समस्त जिलाधिकारियों/ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों को पृष्ठांकित परिपत्र संख्या 3।0/आठ(8)95/67, दिनांक ।6 अप्रैल, ।98। में सार्वजनिक प्रतिष्ठानों इत्यादि के अधीन नियुक्तियों में कर्मचारियों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन हेतु आवश्यक शुल्क तथा उसे जमा करने की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है । सार्वजनिक उद्योगों/निगमों आदि के अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन हेतु शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि सत्यापन शुल्क का भुगतान सार्वजनिक उद्योगों द्वारा वहन किया जायेगा, क्योंकि ऐसा सत्यापन सेवायोजक के हित में होता है। उक्त शासनादेश तथा उसके संलग्नक (प्रतिलिपि संलग्न) में निर्दिष्ट प्रक्रियानुसार कार्यवाही की जाय।

4- शासन के समस्त सचिवों/विशेष सचिवों से अनुरोध है कि वह अपने विभागों के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक निगमों/उद्योगों में उपर्युक्त व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से लागू करने की कार्यवाही करें। वे कृपया यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिये जहाँ सेवा नियमावली बनाई जा चुकी है, बनायी गयी सेवा नियमावलियों व विनियमों इत्यादि में चरित्र एवं पूर्ववृत्त के अनिवार्य सत्यापन का प्राविधान भी शीघ्रातिशीघ्र सम्पन्न करवा दिया जाता है । इन आदेशों का कृपया पूरा अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

त्रिभुवन प्रसाद,
मुख्य सचिव।

समस्त सचिव/विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या ।।।8(।)/चौवालिस-।-8-79/79, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

।-पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
2- समस्त जिला मजिस्ट्रेट ।
3- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक ।
4- महानिदेशक, सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- कार्मिक अनुभाग-2/गृह पुलिस अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन ।
6- उपर्युक्त के अतिरिक्त सचिवालय के अन्य समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र मोहन,
सचिव।